136/1

संख्या–875/उन्तीस(2)12–2(114पे0)/2011

प्रेषक,

जी0बी0ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 16 जुलाई, 2012

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में वाह्य सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद की शाहपुर शीतलाखेडा पेयजल योजना (एकल ग्राम) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्याः817/डी0पी0आर0–79(।।।)/2011–12 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद की शाहपुर शीतलाखेडा पेयजल योजना (एकल ग्राम) के स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन अनु0लागत ₹ 122.57 लाख पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत ₹ 25.33 लाख तथा निर्माण कार्य हेतु ₹ 83.66 लाख अर्थात कुल ₹ 108.99 लाख (रू0 एक करोड आठ लाख निरानब्बे हजार मात्र) औचित्यतपूर्ण पायी गयी धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश संख्या 423/उन्तीस (2)/12–2(07पे0)/0८ दिनांक 09–05–2012 द्वारा निदेशक, स्वजल परियोजना के पक्ष में पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 3000.00 लाख में, से वाह्य सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त योजना पर व्यय किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i)– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ii)– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। अवमुक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(v) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(vi)– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vii)– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भलीभॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

क्रमशः..2

(viii)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(ix)– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(x)– योजनाओं की स्वीकृत लागत में किसी प्रकार का सेन्टेज देय नहीं होगा।

(xi)– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(xii)– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(xiii)– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

(xiv)– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:143/XXVII(2)/2012, दिनांक 12–07– 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या–875(1)/उन्तीस(2)/12–2(114पे0)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3–निजी सचिव–प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6–जिलाधिकारी, देहरादून
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
11–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12–निदेशक, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13–डी0पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, हरिद्वार।
14–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
15–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव